

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

पत्रांक: यो04 / विविध-40 / 14- 5153 / यो0वि0, पटना, दिनांक 11 नवम्बर, 2014

प्रेषक

अखिलेश कुमार सिन्हा
संयुक्त निदेशक

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार।

विषय: सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत पूर्ववर्ती माननीय सांसदों के लिए आवंटित सांसद निधि की अवशेष अव्यवहृत राशि से संबंधित सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त पत्रों की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत चौदहवीं लोकसभा अवधि तक के तथा राज्यसभा के पूर्ववर्ती सांसदों के बचत खाता में उपलब्ध राशि से संबंधित सूचना संलग्न विवरणी में दिनांक 20.11.2014 तक निश्चित रूप से योजना एवं विकास विभाग को उपलब्ध कराया जाय ताकि राज्य नोडल विभाग के स्तर से यह राशि दिशानिदेश के प्रावधानों के आलोक में पुनर्विभाजित की जा सके।

यही प्रक्रिया कार्यकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध अवशेष अव्यवहृत राशि के मामले में भी अपनाई जानी है।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(अखिलेश कुमार सिन्हा)
संयुक्त निदेशक

